P-1 R.M.M. Law College Saharsa.
Manvendra Mandal
Part time Lecturer
Subject - Drafting and pleading
Part-II

असंगत दलीलें (Inconsistent pleading)

प्रश्न उठता है कि क्या पक्षकारों को ऐसी वैकल्पिक दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो असंगत भी हो ? ऐतिहासिक तथ्यों से ज्ञात होता है कि इंग्लैंड में जुडीकेचर एक्ट 1873 के पूर्व इस प्रकार की दलीलें पेश करने की अनुमति नहीं थी। किन्तु उक्त Act के पश्चात असंगत दलीलें पेश करना संभव हो गया है। अब शर्त केवल यह है कि असंगत दलीलें ऐसी हो जिनसे कि विपक्षी पक्षकार उलझन में न पड़ जायें।

अपने देश में इस सम्बन्ध में कोई सांविधिक नियम न होने के कारण असंगत दलीलों को प्रस्तुत किये जाने या न किये जाने के प्रश्न पर न्यायिक मतभेद रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस प्रकार की दलीलों के पक्ष में था और मद्रास हाईकोर्ट उसके विरोध में। किन्तु फर्म श्रीनिवास रामकुमार बनाम महावीर प्रसाद (1951) के केश में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय में उक्त मतभेद का समाधान हो गया है। इस केश में सुप्रीम कोर्ट ने धारण किया है कि एक पक्षकार दो या अधिक कथन अभिकथित कर सकता है और उनके अन्तर्गत वैकल्पिक रूप से अनुतोष का दावा कर सकता है और सी० पी० सी० में इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है।

इसी प्रकार प्रेमराज बनाम डी० एल० एफ० एच० एण्ड कम्पनी लिमिटेड 1968 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारण किया है कि सी० पी० सी० के आदेश-7, नियम-7 के अन्तर्गत वादी को असंगत अनुतोषों की याचिका करने की छूट है।

अक्षय रेस्टोरेन्ट बनाम पी० अंजनप्पा तथा नागम्मा बनाम सिरोमल्लमा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को फिर से दुहराया है कि अब यह सुनिश्चित है कि अभिवचनों में असंगत दलीलें भी ली जा सकती है (It is settled law that even inconsistent pleas could be taken in the pleading) परन्तु इस तथ्य को दर्शाना अति नितान्त आवश्यक है कि ऐसी दलीलों में से प्रत्येक चलने योग्य हो।"

Scanned with CamScanner

P-2 असंगत दलीलें (Inconsistent pleading):

उपर्युक्त न्याय निर्णय और विधान के प्रकाश में वैकल्पिक तथा असंगत दलीलों से सम्बन्धित सामान्य नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है - वैकल्पिक एवं असंगत दलीलें प्रस्तुत करने के प्रति कोई आपत्ति नहीं हो सकती, बशर्ते कि वे दलीलें ऐसे तथ्यों पर आधारित न हो, जो इतने असंगत हो कि एक तथ्य को साबित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य दूसरे को नष्ट कर दे।

Scanned with CamScanner

P-1 R.M.M. Law College, Saharsa.

Manvendra Mandal Part time Lecturer	Subject- Pleading and Drafting Paper — II, Part — II

वैकल्पिक दलीलें (Alternative pleas) —

सामान्यतया पक्षकार अपने अभिवचनों से बाध्य है। यदि किसी पक्षकार ने अपने लिखित अभिवचन में किसी आधार का अभिकथन नहीं किया है तो वह आगे चलकर उस आधार का सहारा लेकर कोई नया केश खड़ा नहीं कर सकता। अतः वादी एवं प्रतिवादी दोनों के लिए अनिवार्य है कि वे क्रमशः अपने हक व बचाव (Claim or defence) के प्रत्येक आधार का अभिकथन कर दे। इसी बात को ध्यान में रख कर वैकल्पिक एवं असंगत दलीलों (Alternative and inconsistent pleas) की अनुमति दे दी जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने फर्म श्रीनिवास राज कुमार बनाम महावीर प्रसाद के महत्वपूर्ण वाद में अवलोकन किया कि एक वादी विकल्पतः कई अधिकारों का आश्रय ले सकता है और सी॰पी॰सी॰ में इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी भी अपनी इच्छानुसार कई सुस्पष्ट एवं पृथक-पृथक बचावों का सहारा ले सकता है। वैकल्पिक दलील को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है —

(i) क के किसी मकान पर कब्जा प्राप्त करने के लिए ख उसके स्वामित्व का दावा इस आधार पर कर सकता है कि वह क का गोद लिया हुआ पुत्र है अथवा विकल्पतः वह यह भी कह सकता है कि क ने उसके पक्ष में उस आशय की एक वसीयत कर रखी है।

(ii) अ एक बॉण्ड के आधार पर ब के विरुद्ध कुछ धन प्राप्त करने के लिए वाद चलाता है। यहाँ पर ब अपने बचाव में कह सकता है कि उसने उक्त बॉण्ड को कभी भी निष्पादित नहीं किया था अथवा विकल्पतः वह यह कह सकता है कि उसके विरुद्ध अ का वाद मियाद के बाहर है।

यद्यपि वादी एवं प्रतिवादी वैकल्पिक दलीलें प्रस्तुत कर सकते हैं तथापि यह परम आवश्यक है कि जिन तथ्यों पर ऐसे वैकल्पिक दावे या बचाव आधारित उन्हें स्पष्ट रूप से एवं पृथक-पृथक अभिकथित किया

Scanned with CamScanner

P-2

वैकल्पिक दलीलें (Alternative Pleas)

एक रोचक स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब कि वादी ने वैकल्पिक अनुतोषों की प्रार्थना की हो और उनमें से एक प्रदान कर दी जाय, फिर भी वह इस बात के लिए अपील करे कि अन्य वैकल्पिक अनुतोष उसे नहीं मिला ठीक यही स्थिति सक्कू बनाम बी० रेड्डीयार के बाद में उत्पन्न हुई। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वैकल्पिक रूप से संविदा के विशिष्ट अनुपालन अथवा क्षतिपूर्ति के लिए वाद चलाया। परीक्षण न्यायालय ने उसे क्षतिपूर्ति का अनुतोष प्रदान कर दिया। तब उसने उच्च न्यायालय में अपील करते हुए कहा कि उसे संविदा के विशिष्ट अनुपालन का अनुतोष प्रदान किया जाना चाहिए था। उसके तर्क को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि सभी वैकल्पिक अनुतोष समान रूप से देखे जायेंगे और एक का लाभ मिल जाने पर दूसरे का न मिलने की शिकायत नहीं कर सकता। इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने से केवल वादकारियों की सदन को प्रोत्साहन मिलेगा और परीक्षण न्यायालय के समय का अपव्यय होगा।

The end

Scanned with CamScanner